न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 20 / 2024(GCMS 2024/34)
(आरटीआई संख्या 212016727329158)

Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते

Asif Iqbal Postall Address E-163, Parwati Niwas, Gali No. 3, West Vinod Nagar, Delhi -110092

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, सतर्कता, श्रीगंगानगर

19.05.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री आसिफ इकबाल उपस्थित नहीं हुए, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, सतर्कता श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 31.01.2024 से एक बिन्दु की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है, इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री लक्ष्य मित्तल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 31.01.2024 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न एक बिन्दु की **सूचना चाही थी :**

Year	No. of Marriages registered under Hindu Marriage Act 1955 (हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकृत हुए विवाहों की संख्या)
2020 2021	
2022	

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:54:49 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

इस कार्यालय के पत्रांक सीजी/वाचक/24/324 दिनांक 27.03.2024 एवं स्मरण पत्र 855/18.06.2024, 1736/22.11.2024, 24/08.01.2025, 204/05.02.2025, 806/27.03.2025 एवं 979/30.04.2025 से लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, सतर्कता, श्रीगंगानगर को लिखे जाने के पश्चात भी उनके द्वारा कोई जवाब/टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की गई है कि उनके द्वारा अपीलार्थी को कोई जवाब दिया है अथवा नहीं। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 में निम्न प्रकार से प्रावधान है:

> धारा 7 अनुरोध का निपटारा : (1) धारा 5 की उप धारा (2)के परंतुक या धारा 6 की उप–धारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथा संभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विर्निदिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा।
>
> परन्तु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।

चूंकि अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर द्वारा बिन्दु संख्या 1 से 3 के सम्बन्ध में अपीलर्थी को कोई जवाब प्रेषित किया हो, यह ज्ञात नहीं होता है। उनके द्वारा अपीलार्थी के धारा 6(3) के प्रार्थना पत्र पर कोई सूचना दिये जाने अथवा न दिये जाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय [illegible] अथवा नही? जबकि धारा 7(1) के तहत 30 दिवस में नि[illegible] किया जाना [illegible] हैं इसलिए प्रार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:54:49 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और **अति. जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर को मामला इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित(Remand) किया जाता है कि** अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं के बिन्दु संख्या 1 से 3 के सम्बन्ध में आदेश प्राप्ति के 07 दिवस में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत निर्णय किया जावे। **आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 19.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर,
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:54:49 IST
Reason: SelfAttested